

enter>

## RE: Non – Declaration of Statutory Minimum Price for Sugarcane

Title: Regarding non-declaration of statutory minimum price for sugarcane by the Government.

**कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.)** : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हम लोगों द्वारा इस सदन में काफी संघर्ष करने के बाद भारत सरकार ने गन्ना किसानों के लिये न्यूनतम मूल्य 69 रुपये क्विंटल तय किया था लेकिन इस साल अभी तक सरकार द्वारा सांविधिक न्यूनतम मूल्य तय नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार तथा देश के अन्य राज्यों में गन्ने की पेराई का सीज़न शुरू हो चुका है। चीनी मिलों द्वारा आज सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित न करने के कारण पिछले साल की दर पर गन्ना किसानों को भुगतान किया जा रहा है। इससे किसानों का भयंकर शोण हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति विम है। इस मामले में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि राज्य सरकार को चीनी का न्यूनतम मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। इसलिये भारत सरकार चीनी का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी और उसी के मुताबिक चीनी मिल मालिक चीनी के मूल्य की अदायगी करेंगे।

MR. SPEAKER: I will ask the hon. Minister of Agriculture.

**कुंवर अखिलेश सिंह** : आज किसान पीसे जा रहे हैं। भारत सरकार न्यूनतम मूल्य तुरन्त निर्धारित करे। (व्यवधान)

**श्री रामजीलाल सुमन** : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने अभी तक गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय नहीं किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। आपके द्वारा दो बार निर्देश देने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। पेराई का सत्र शुरू हो गया है। सरकार जान-बूझकर इसमें देर कर रही है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठिये। मैं इसी विषय पर कह रहा हूँ। मंत्री जी, मैं ज़ीरो आवर में यह विषय लेना चाहता हूँ। आप ज़ीरो आवर में फ्री हों तो ज़रूर आइए और इस विषय का जवाब दीजिए क्योंकि पिछले दो-तीन दिनों से यह विषय यहां उठाया जा रहा है। माननीय सदस्यों को भी जो कुछ कहना है, वे ज़ीरो आवर में बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर)** : अध्यक्ष महोदय, यह मामला साधारण मामला नहीं है। अभी तक सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है जबकि पेराई का सत्र आरंभ हो गया है। प्रश्न काल तो चलता रहेगा। किसानों का पेराई का सीज़न शुरू हो गया और इन्होंने समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। इसका जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए।

**कृषि मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)** : अध्यक्ष जी, यह हमारी भी चिन्ता का विषय है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया शांत बैठिये। मैं मंत्री जी को सुनना चाहता हूँ। यादव जी, आप प्लीज़ बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि यह हमारी भी चिन्ता का विषय है कि गन्ना किसानों के लिए जो स्टेटुटरी मिनिमम प्राइस है, उसकी घोषणा हो जानी चाहिए थी और इसकी तैयारी हमारे कृषि मंत्रालय के कृषि लागत मूल्य आयोग सीपीसी ने पहले ही कर ली थी, लेकिन तब तक चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। (व्यवधान)

**कुंवर अखिलेश सिंह** : अब तो चुनाव हो गए हैं। अब क्यों देर हो रही है? (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please let me know what the Minister wants to say. आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा?

...(व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह** : अब इस प्रकरण को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है क्योंकि इस संबंध में अंतिम निर्णय वहीं से होना है। वह प्रस्ताव सीसीईए के पास कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ही लेकर जाएगी और मेरी जानकारी है कि वह प्रस्ताव तैयार हो चुका है, लेकिन सीसीईए में ही अंतिम फैसला होगा। (व्यवधान)

**श्री रामजीलाल सुमन** : अध्यक्ष महोदय, पेराई का सीज़न शुरू हो गया है और अभी तक सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि यह विषय अभी खाद्य मंत्रालय यानी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

**कुंवर अखिलेश सिंह** : खाद्य मंत्री को सदन में बुलाया जाए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृषि मंत्री ने यहां बताया है कि यह विषय खाद्य मंत्री के पास गया है। मैं खाद्य मंत्री को ज़ीरो आवर में बुलाऊंगा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर

उनसे इस बारे में निवेदन करेंगे।

...(ब्यवधान)

-----